



2026:AHC:2906-DB

ए.एफ.आर.

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
जेल अपील संख्या - 143/2018

श्री पाल

... अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी के अधिवक्ता(गण)

: जेल से, सौरभ पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता(गण)

: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र धारी सिंह,

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I,

(माननीय चंद्र धारी सिंह, न्यायमूर्ति द्वारा प्रदत्त)

- वर्तमान आपराधिक अपील अभियुक्त-अपीलार्थी (श्रीपाल) द्वारा जेल से भेजी गई है, जो अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3, मुजफ्फरनगर द्वारा सत्र विचारण संख्या 131/2012 (मुकदमा अपराध संख्या 260/2011 से उत्पन्न) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.05.2017 के विरुद्ध है, जो थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 302, 201 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज था, जिसके द्वारा विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त-अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया:

(क) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और 20,000/- रुपये का अर्थदंड।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपराध के लिए सात वर्ष का कारावास और 7,000/- रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड के भुगतान में चूक की स्थिति में चार महीने का अतिरिक्त कारावास।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए तीन वर्ष का कारावास और 3,000/- रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड के भुगतान में चूक की स्थिति में दो महीने का अतिरिक्त कारावास।

(घ) दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए पांच वर्ष का कारावास और 15,000/- रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड के भुगतान में चूक की स्थिति में छह महीने का अतिरिक्त कारावास।

(ङ) दो वर्ष का कारावास और 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम की स्थिति में, पाँच महीने का अतिरिक्त कारावास।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हालांकि, सभी दण्डादेशों को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

संक्षिप्त तथ्य

2. संक्षेप में, वर्तमान दाण्डिक अपील को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि उमराव सिंह प्रजापत के पुत्र सूचनाकर्ता प्रेम चंद्र, निवासी ग्राम पुसार, थाना दोघट, जनपद बागपत द्वारा थाना प्रभारी छपार, जनपद मुजफ्फरनगर को एक लिखित रिपोर्ट दी गई थी कि उनकी पुत्री श्रीमती सुमन (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) का विवाह लगभग सात वर्ष पूर्व श्रीपाल प्रजापत (इसके बाद 'अभियुक्त-अपीलार्थी' के रूप में संदर्भित) के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों के बाद, मृतक और अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण समय-समय पर मृतक अपने मायके आती रहती थी, लेकिन अपने पति और ससुर के उसे लेने आने के बाद वह अपने ससुराल चली जाती थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे यह आरोप लगाया गया है कि घटना से एक वर्ष पूर्व, अभियुक्त-अपीलार्थी ने दहेज की मांग की और उसे उसके ससुराल से निकाल दिया। हालांकि, समाज के कुछ सम्मानित व्यक्तियों के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझ गया और अभियुक्त-अपीलार्थी मृतक को अपने घर ले गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 29.08.2011 को, सूचनाकर्ता की एक अन्य पुत्री, जिसका विवाह उसी परिवार में हुआ था, ने सूचनाकर्ता को सूचित किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसे बताया है कि मृतक दोनों बच्चों सहित घर से लापता है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर, सूचनाकर्ता मृतक के घर पहुँचा और दरवाजा बंद पाया तथा घर पर कोई मौजूद नहीं था। ग्रामीणों से पूछताछ करने पर उसे बताया गया कि अभियुक्त-अपीलार्थी अपनी पत्नी, मृतक और उसके बच्चों के साथ लकड़ी लेने गया था। सूचनाकर्ता ने अपनी पुत्री, मृतक की काफी खोजबीन की, लेकिन वह व्यर्थ रही। तत्पश्चात, उसने पुलिस थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें संदेह व्यक्त किया गया कि उसकी पुत्री और उसके बच्चों की अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा हत्या कर दी गई है।

3. उपर्युक्त रिपोर्ट (प्रदर्श का-1) के आधार पर, अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 260/2011, धारा 498-ए, 364 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर के तहत मामला दर्ज किया गया।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, कानून सक्रिय हुआ और मामले की विवेचना पी.डब्ल्यू.-7, एस.आई. दुलारे लाल को सौंपी गई, जिन्होंने एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि तैयार की और एफ.आई.आर. लेखक (चिक लेखक) क्लर्क-कांस्टेबल 685 छोटे लाल पाठक और सूचनाकर्ता प्रेम चंद्र के बयान केस डायरी में दर्ज किए और मृतक एवं उसके बच्चों की तलाश के लिए पुलिस बल के साथ थाने से निकल गए। गंगा के किनारे मृतक का शव पड़े होने की सूचना मिलने पर वह वहाँ पहुँचे और शव बरामद किया। इसके बाद, पी.डब्ल्यू.-4, नायब तहसीलदार करण सिंह द्वारा पंचनामा किया गया, जिसे प्रदर्श का-2 के रूप में अंकित किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
5. पी.डब्ल्यू.-7, एस.आई. दुलारे लाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में आगे गवाही दी कि 04.9.2011 को उन्होंने अभियुक्त का बयान दर्ज किया, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसने अपराध किया है। अभियुक्त के इस बयान के बाद धारा 304-बी भारतीय दंड संहिता जोड़ी गई। उन्होंने अभियुक्त की निशानदेही पर नज़री नक्शा भी तैयार किया, जिसे प्रदर्श का-10 के रूप में अंकित किया गया। उन्होंने उस स्थान का भी निरीक्षण किया जहाँ से मृतक का शव बरामद हुआ था और नज़री नक्शा (प्रदर्श का-11) तैयार

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किया। 04.09.2011 को 13:10 बजे उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया (प्रदर्श का-12)। चूंकि धारा 304-बी भारतीय दंड संहिता भी जोड़ी गई थी, इसलिए उक्त मामले की विवेचना सी.ओ. सदर श्री राजेश कुमार सिंह को स्थानांतरित कर दी गई।

6. पी.डब्ल्यू.-8, राजेश कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में गवाही दी है कि मुकदमा अपराध संख्या 260/2011, धारा 498-ए, 364, 304-बी भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विवेचना उनके द्वारा 06.09.2011 को ग्रहण की गई। उन्होंने केस डायरी का परिशीलन किया और थाना प्रभारी को मृतक के लापता बच्चों का पता लगाने के निर्देश दिए। 14.09.2011 को उन्होंने केस डायरी में पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी तैयार की। 07.10.2011 को उन्होंने सूचनाकर्ता का बयान दर्ज किया। उन्होंने साक्षियों उदय वीर, पुत्र कल्लू राम, महिपाल, पुत्र प्रेम चंद्र, यशपाल, पुत्र धर्मपाल के बयान भी दर्ज किए। चूंकि घटना अभियुक्त और मृतक के विवाह के सात वर्ष बाद हुई थी, इसलिए धारा 304-बी भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं हटा दी गईं और मामले को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत परिवर्तित कर दिया गया। चूंकि मामला दहेज मृत्यु का नहीं था, इसलिए मामले की विवेचना 12.10.2011 को पी.डब्ल्यू.-9, एस.एच.ओ. भारत लाल शाह को स्थानांतरित कर दी गई।
7. पी.डब्ल्यू.-9, एस.आई. भारत लाल शाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में गवाही दी कि 20.10.2011 को वह थाना छपार में थाना प्रभारी के रूप में तैनात थे। उन्होंने केस डायरी और अन्य संबंधित कागजात का परिशीलन किया और पंचनामा के साक्षियों भगत सिंह, मोनू, सतपाल, नरेंद्र के बयान दर्ज किए। 16.11.2011 को उन्होंने कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह वर्मा, वीर सिंह और नायब तहसीलदार करण सिंह के बयान दर्ज किए।
8. विवेचना की समाप्ति के बाद, विवेचनाधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498-ए, 302, 201 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्श का-13 के रूप में अंकित किया गया। विवेचनाधिकारी ने मृतक के विसरा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भी भेजा, जिसे प्रदर्श का-14 के रूप में अंकित किया गया।
9. हालांकि, 12.07.2013 की विसरा रिपोर्ट में कोई जहर नहीं पाया गया।
10. चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, जहाँ मामला सत्र विचारण संख्या 131/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर ने आदेश दिनांक 27.03.2012 के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498-ए, 302, 201 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप विरचित किए, जिन्हें अभियुक्त को हिंदी में पढ़कर सुनाया और समझाया गया, जिसने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।
11. अभियुक्त-अपीलार्थी के दोष को पूरी तरह सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 10 साक्षियों की परीक्षा की है। पी.डब्ल्यू.-1 प्रेम चंद्र, प्रथम सूचनाकर्ता और मृतक के पिता हैं, पी.डब्ल्यू.-2 महिपाल, पी.डब्ल्यू.-3 उदय वीर तथ्यों के साक्षी और पंचनामा के साक्षी भी हैं। पी.डब्ल्यू.-4 करण सिंह, नायब तहसीलदार, जिन्होंने पंचनामा करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पी.डब्ल्यू.-5 डॉ. पवन कुमार जैन, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। पी.डब्ल्यू.-6 छोटे लाल पाठक, जिन्होंने एफ.आई.आर. लिखी। पी.डब्ल्यू.-7 एस.आई. दुलारे लाल, मामले के प्रथम विवेचनाधिकारी। पी.डब्ल्यू.-8 सी.ओ. राजेश कुमार सिंह, मामले के दूसरे

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विवेचनाधिकारी। पी.डब्ल्यू.-9 भारत लाल शाह, थाना प्रभारी, थाना छपार, तीसरे विवेचनाधिकारी जिन्होंने आरोप पत्र प्रस्तुत किया और पी.डब्ल्यू.-10 कुसुम, सोनू की पत्नी, जो मृतक की बहन भी है और जिसकी परीक्षा तथ्यों के साक्षी के रूप में और मृतक को अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ अंतिम बार देखे जाने के संबंध में की गई है।

12. पी.डब्ल्यू.-1 प्रेम चंद्र, जो प्रथम सूचनाकर्ता और मृतक के पिता हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए संस्करणों को दोहराया है। उन्होंने आगे गवाही दी कि उनके दो नाती अंश और वंश, जिनकी आयु लगभग 5 और 1-1/2 वर्ष थी, के शव अभी बरामद होने बाकी हैं। उनकी पुत्री सुमन (मृतक) का शव उसी दिन जंगल के अंदर नहर से बरामद किया गया था, जब उन्होंने आवेदन दिया/एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी पुत्री के शव को पहचाना। उनकी पुत्री, उसके पुत्रों अंश और वंश की हत्या अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण की गई है।
13. पी.डब्ल्यू.-2 महिपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में, जो दिनांक 19.11.2013 को दर्ज की गई थी, गवाही दी कि प्रथम सूचनाकर्ता प्रेम चंद्र उसी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ वह रहते हैं। प्रेम चंद्र ने अपनी पुत्री सुमन (मृतक) का विवाह वर्ष 2004 में श्रीपाल (अभियुक्त-अपीलार्थी) के साथ किया था। उन्होंने विवाह में भी भाग लिया था। उन्हें प्रथम सूचनाकर्ता प्रेम चंद्र ने बताया था कि उनके दामाद ने उनकी पुत्री और उसके पुत्रों को गायब कर दिया है। उनकी पुत्री (मृतक) का शव बरामद हो गया है, लेकिन उसके दोनों पुत्र अभी भी लापता हैं।
14. पी.डब्ल्यू.-3 उदय वीर ने अपनी मुख्य परीक्षा में, जो दिनांक 03.03.2014 को दर्ज की गई थी, गवाही दी कि प्रथम सूचनाकर्ता प्रेम चंद्र ग्राम पुशर, जिला बागपत के निवासी थे, लेकिन वह अपने पिता उमराव सिंह और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ घटना से पहले खेड़ी में बस गए थे। प्रथम सूचनाकर्ता की पुत्री का विवाह अभियुक्त-अपीलार्थी श्रीपाल के साथ हुआ था। इस साक्षी ने भी विवाह में भाग लिया था। विवाह में प्रथम सूचनाकर्ता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। विवाह के बाद अभियुक्त और उसके पिता अतिरिक्त दहेज लाने के लिए मृतक को प्रताड़ित करते थे और पीटते थे, जो मृतक ने उनकी उपस्थिति में प्रथम सूचनाकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों को बताया था। मृतक के दो बच्चे थे। प्रथम सूचनाकर्ता की बड़ी पुत्री (कुसुम) का विवाह भी उसी गाँव में हुआ है जहाँ मृतक का विवाह हुआ था। इस साक्षी ने आगे गवाही दी कि 29.08.2011 को कुसुम ने अपने पिता को फोन पर सूचित किया कि मृतक और उसके दोनों पुत्रों को अभियुक्त और उसके पिता ने गायब कर दिया है। उक्त सूचना पर प्रेम चंद्र और महिपाल बसेड़ा गए जहाँ उन्हें पता चला कि मृतक और उसके पुत्र लापता हैं जबकि अभियुक्त-श्रीपाल और उसके पिता कालूराम घर पर नहीं थे। इसके पश्चात थाना छपार में सूचना दी गई। इस साक्षी ने आगे गवाही दी कि काफी तलाश के बाद मृतक का शव जौली स्थित गंगा नहर के पास मिला जिसकी पहचान इस साक्षी और प्रथम सूचनाकर्ता प्रेम चंद्र ने की। इसके पश्चात थाना छपार और भोपा की पुलिस वहाँ पहुँचे और पंचनामा तैयार किया। उन्होंने पंचनामा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर भी किए, जिसे प्रदर्शक का-2 के रूप में अंकित किया गया।
15. पी.डब्ल्यू.-4 करण सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में गवाही दी कि 03.09.2011 को वह तहसील जानसठ में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थे। उस दिन उन्हें थाना भोपा से सूचना मिली कि गंगा नहर में ग्राम बखेड़ी और सिखेडा के बीच एक महिला का शव बरामद हुआ है। तहसील से सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि शव श्रीपाल की पत्नी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सुमन, निवासी बसेड़ा, थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर का है। उस तिथि को उनके पर्यवेक्षण में उप-निरीक्षक द्वारा पंचनामा रिपोर्ट, आर.आई. के लिए पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र, फोटो लाश, चालान लाश तैयार किए गए। उन्होंने पंचनामा रिपोर्ट के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर भी किए, जिसे प्रदर्शक का-2 के रूप में अंकित किया गया।

16. पी.डब्ल्यू.-5 डॉ. पवन कुमार जैन ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। अपनी मुख्य परीक्षा में उन्होंने गवाही दी कि 04.09.2011 को वह जिला मुजफ्फरनगर में पोस्टमार्टम इयूटी पर तैनात थे। उसी दिन दोपहर 2:00 बजे उन्होंने डॉ. जे.पी. त्यागी के साथ संयुक्त रूप से मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

"1. हाथ के बाहरी हिस्से पर 6 x 5 सेमी का गोलाकार घिसटन।

2. बायीं कोहनी के अंदर की तरफ 0.5 सेमी x 0.5 सेमी x मांसपेशी गहरा फटा हुआ घाव।

3. बायीं टांग के मध्य भाग के सामने 13 सेमी x 1 सेमी के क्षेत्र में चार छोटे फटे हुए घाव, जिनका माप 0.5 सेमी x 0.5 सेमी और मांसपेशी की गहराई तक था।

4. गर्दन के दोनों तरफ घिसटन के कई निशान, जिनका माप 2.5 सेमी x 2.0 सेमी से 1.50 सेमी x 1.00 सेमी तक था।"

डॉक्टरों की राय में मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व गला घोटने के कारण श्वासावरोध था।

17. पी.डब्ल्यू.-6 छोटे लाल पाठक, जिन्होंने एफ.आई.आर. लिखी, पी.डब्ल्यू.-7 दुलारे लाल, प्रथम विवेचनाधिकारी, पी.डब्ल्यू.-8 राजेश कुमार सिंह, दूसरे विवेचनाधिकारी और पी.डब्ल्यू.-9 भारत लाल शाह, तीसरे विवेचनाधिकारी, जिन्होंने आरोप पत्र प्रस्तुत किया, के साक्ष्यों पर ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

18. पी.डब्ल्यू.-10 श्रीमती कुसुम, सोनू की पत्नी, जो प्रथम सूचनाकर्ता प्रेम चंद्र की बड़ी पुत्री हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा में, जो दिनांक 06.10.2016 को दर्ज की गई थी, गवाही दी कि उनकी बहन (मृतक) का विवाह लगभग 12-13 वर्ष पहले श्रीपाल (अभियुक्त) के साथ हुआ था। मृतक के दो पुत्र थे, वंश जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष थी और अंश जिसकी आयु लगभग 2-1/2 या 3 वर्ष थी। उन्होंने आगे गवाही दी कि घटना की तिथि को उन्होंने श्रीपाल (अभियुक्त), सुमन (मृतक) को दोनों पुत्रों के साथ जंगल की ओर जाते देखा। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन और उसके पुत्रों वंश और अंश को नहीं देखा। जब उन्होंने श्रीपाल (अभियुक्त) से पूछा कि सुमन और उसके पुत्र कहाँ हैं, तो उसने उत्तर दिया कि उसने उन्हें मार डाला है। उन्होंने अपने पिता को घटना की जानकारी दी। उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामला दर्ज होने के चार-पांच दिन बाद मृतक का शव बरामद किया गया। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। श्रीपाल कम दहेज लाने के लिए उनकी बहन को पीटता था।

19. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के बाद, अभियुक्त का बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। उसने आगे कहा कि कुसुम के पति सोनू, प्रधान भूपेंद्र जाट के यहाँ कार्यरत हैं और साक्षी कुसुम भी उसके घर में काम करती है। प्रधान भूपेंद्र जाट ने जबरन उसके घर पर कब्जा कर लिया है और उसके कहने पर उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



20. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. संख्या 3, मुजफ्फरनगर ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का आकलन, मूल्यांकन और सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद अभियुक्त-अपीलार्थी को ऊपर बताए अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया।
21. अतः यह अपील।

अपीलार्थी की ओर से तर्क

22. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है और इस मामले में साक्ष्य की श्रृंखला गायब है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने माननीय शीर्ष न्यायालय के लक्ष्मण प्रसाद @ लक्ष्मण बनाम मध्य प्रदेश राज्य; 2023 (3) एससीसी (क्रि.) 27, भीम सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य; 2015 एआईआर (एससीडब्ल्यू) 1118, पी.15, दिनेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य; 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 564, पी.15 और शैल कुमारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य; एआईआर 2025 (एससी) 3646 के निर्णयों पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए।
23. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि पी.डब्ल्यू.-1 (सूचनाकर्ता) और पी.डब्ल्यू.-10 कुसुम के बयानों में तात्त्विक अंतर्विरोध हैं, जो पूरी अभियोजन कहानी को संदिग्ध बनाते हैं।
24. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को प्रधान भूपेंद्र जाट के इशारे पर वर्तमान मामले में झूठा घसीटा गया है।
25. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय बिना किसी साक्ष्य के अटकलों और अनुमानों पर आधारित है और अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के दोष को संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। अपीलार्थी 05.09.2011 से जेल में है।

राज्य की ओर से तर्क

26. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नीरज कुमार तिवारी ने उपर्युक्त तर्कों का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे सिद्ध किया है, जो पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-10 के बयानों से स्पष्ट है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू.-10 (कुसुम) ने अपने बयान में विशेष रूप से कहा है कि उसने दहेज की मांग के लिए उत्पीड़न के संबंध में थाने में शिकायत की थी, इसलिए यह कहना गलत है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक को प्रताड़ित करने का कोई हेतु उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि चूंकि मृतक के माता-पिता दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके, जिसके कारण अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी।
27. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-10 के बयानों में कोई बड़े अंतर्विरोध नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सीय रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। डॉक्टरों की राय के अनुसार, मृतक की हत्या पोस्टमार्टम की तिथि से 4-6 दिन पहले की गई थी, यानी वह तिथि जब उसे पी.डब्ल्यू.-10 द्वारा अभियुक्त और बच्चों के साथ देखा गया था।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



28. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि अभियोजन द्वारा परीक्षित सभी साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है और अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे सिद्ध किया है और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला पूरी की है, इसलिए विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को उपर्युक्त धाराओं के तहत सही ढंग से दोषसिद्ध किया है और आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए अपील योग्यताहीन है और खारिज किए जाने योग्य है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

29. अभियोजन का मामला पूरी तरह से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से सिद्ध किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ एक श्रृंखला बनाने वाली पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं छूटना चाहिए। आगे, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ सुसंगत होनी चाहिए। माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा लगातार यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करता है, वहाँ दोष का निष्कर्ष केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी आपत्तिजनक तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत पाई जाएँ।

30. शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर (1984) (एससी) 1622 में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने पारिस्थितिक साक्ष्य के लिए पांच सुनहरे सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

(ii) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए।

(iii) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(iv) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए।

(v) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के साथ सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े।

31. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, (1992) क्रिमिनल लॉ जर्नल 1104 में यह इंगित किया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए और यदि भरोसा किए गए साक्ष्य उचित रूप से दो निष्कर्ष निकालने में सक्षम हैं, तो अभियुक्त के पक्ष वाले निष्कर्ष को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी इंगित किया गया था कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किया गया है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित पाया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

32. हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1952 एससी 343 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"यह याद रखना उचित है कि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति के होते हैं, उनमें वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, प्रथम दृष्टया पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए, और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। पुनः, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए जो सिद्ध की जाने वाली प्रस्तावित परिकल्पना के अलावा प्रत्येक अन्य परिकल्पना को अपवर्जित करें। दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न रहे और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

33. पाडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1989 सप्लीमेंट (2) एससीसी 706 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार राय व्यक्त की:

"10. विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर ध्यान देने से पहले, हम शुरुआत में ही यह इंगित करेंगे कि वर्तमान मामले में अभियुक्त को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन अपना मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित रखता है। इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में लगातार यह माना है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों पर खरा उतरना चाहिए:

- (1) वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, ठोस और दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए;
- (2) वे परिस्थितियाँ अभियुक्त के दोष की ओर अचूक रूप से संकेत करने वाली एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए;
- (3) परिस्थितियों को, संचयी रूप से लिए जाने पर, इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई रास्ता न हो कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और किसी अन्य द्वारा नहीं; और (4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के स्पष्टीकरण में अक्षम होने चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए। (देखें गंभीर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1982) 2 एससीसी 351)"

34. सी. चेंगा रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1996) 10 एससीसी 193 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के मामले पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, स्थापित कानून यह है कि वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए। वर्तमान मामले में अधीनस्थ न्यायालयों ने इन स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है और कुछ अग्राह्य साक्ष्यों पर भरोसा करने के अलावा संदेह को प्रमाण का स्थान लेने दिया है।"

35. रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 10 एससीसी 172 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के मामले पर विचार किया और निम्नानुसार निर्धारित किया:

"26. अब यह सुस्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोषसिद्धि का आधार बनाने के उद्देश्य से, अभियोजन को विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य द्वारा अभियोगात्मक परिस्थितियों के सभी टुकड़ों को स्थापित करना चाहिए और इस प्रकार सिद्ध परिस्थितियाँ घटनाओं की ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष की अनुमति न दे। परिस्थितियाँ किसी अन्य परिकल्पना पर नहीं हो सकतीं। यह भी सुस्थापित है कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है और न्यायालयों को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। (देखें अनिल कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, (2003) 9 एससीसी 67 और रेड्डी संपत कुमार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2005) 7 एससीसी 603)।"

36. सततिया बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 3 एससीसी 210 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया:

"10. हमने पूरे मामले पर विचारपूर्वक सोच-विचार किया है। यह स्थापित कानून है कि अपराध को न केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य से बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी सिद्ध किया जा सकता है जहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो। न्यायालय दोष का निष्कर्ष तब निकाल सकता है जब सभी अभियोगात्मक तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत पाई जाती हैं। बेशक, वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए और उन्हें उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए।" इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में आगे यह भी टिप्पणी की कि:

"17. इस स्तर पर, हम यह भी कहना उचित समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय को पलटने में अत्यधिक अनिच्छुक होगा जिसकी पुष्टि अपील में की गई है। हालांकि, यदि यह पाया जाता है कि किसी मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन, जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, गंभीर त्रुटियों से दूषित है और उस कारण से न्याय का हनन हुआ है, तो न्यायालय निश्चित रूप से विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप करेगा--भारत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2003) 3 एससीसी 106।"

37. गोवा राज्य बनाम पांडुरंग मोहिते, (2008) 16 एससीसी 714 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्थापित कानून को दोहराया कि जहाँ दोषसिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहाँ दोष का निष्कर्ष केवल तभी न्यायोचित हो सकता है जब सभी अभियोगात्मक तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के दोष के साथ असंगत पाई जाती हैं। वे परिस्थितियाँ जिनसे अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए और उन्हें उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए।
38. शरद बिरधीचंद सारडा (उपर्युक्त) के निर्णय का हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में पालन किया गया है, जिसमें लक्ष्मण प्रसाद उर्फ लक्ष्मण बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2023(3) एससीसी (क्रिमिनल) 27 और आर. श्रीनिवासा बनाम कर्नाटक राज्य (2024) 17 एससीसी 426 शामिल हैं।
39. माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त घोषणाओं के आलोक में, अब हम विचार करेंगे कि क्या वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की उस श्रृंखला को स्थापित करने में सफल रहा जो इस अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने ही अपराध किया था। वर्तमान मामले में, अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया:

(1) मृतक सुमन की मृत्यु प्रकृति में हत्यात्मक थी।

(2) मृतक सुमन को उसकी हत्या से 8-9 दिन पहले अभियुक्त-अपीलार्थी श्रीपाल के साथ जंगल की ओर जाते हुए अंतिम बार देखा गया था।

40. मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम पीडब्ल्यू-5, डॉ. पवन कुमार जैन द्वारा किया गया था। उनके अनुसार शव पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

"1. 6 x 5 सेंटीमीटर माप का एक घेरे के आकार का रगड़ का निशान, जो अग्रबाहु के ठीक बाहरी हिस्से पर स्थित था।

2. फटा हुआ घाव माप 0.5 सेंटीमीटर x 0.5 सेंटीमीटर x मांसपेशी तक गहरा। बाएं कोहनी के अंदरूनी हिस्से पर स्थित।

3. बाईं टांग के मध्य भाग के सामने 13 सेंटीमीटर x 1 सेंटीमीटर के क्षेत्र में चार छोटे फटे हुए घाव थे, जिनका माप 0.5 सेंटीमीटर x 0.5 सेंटीमीटर था और गहराई मांसपेशी के मांस तक थी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. गर्दन के दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर x 2.0 सेंटीमीटर से लेकर 1.50 सेंटीमीटर x 1.00 सेंटीमीटर तक के कई रगड़ के निशान थे।”

41. डॉक्टरों की राय में, मृत्यु पोस्टमार्टम की तारीख से 4 से 6 दिन पहले हुई थी। कंठिका अस्थि भी टूटी हुई पाई गई। डॉक्टर ने आगे राय दी कि मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व गला घोटने के कारण दम घुटना था।
42. मृतक की मृत्यु-पूर्व की चोटों के आधार पर, डॉक्टर द्वारा यह राय दी गई है कि मृतक सुमन की मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व गला घोटना था। चिकित्सीय साक्ष्यों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक सुमन की मृत्यु हत्यात्मक थी।
43. जहाँ तक अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य का संबंध है, पीडब्ल्यू-10, कुसुम ने बयान दिया कि उसकी बहन (मृतक) का विवाह लगभग 12-13 वर्ष पूर्व श्रीपाल (अभियुक्त) के साथ हुआ था। मृतक के दो पुत्र थे, जिनका नाम वंश, आयु लगभग 5 वर्ष और अंश, आयु लगभग 2.5 या 3 वर्ष थी। उसने आगे बयान दिया कि घटना की तिथि पर, उसने श्रीपाल (अभियुक्त), सुमन (मृतक) को दोनों पुत्रों के साथ जंगल की ओर जाते देखा था। उसके बाद, उसने अपनी बहन और उसके बेटों वंश और अंश को नहीं देखा। जब उसने श्रीपाल (अभियुक्त) से पूछा कि सुमन और उसके बेटे कहाँ हैं, तो उसने उत्तर दिया कि उसने उन्हें मार डाला है। अपनी जिरह में, पीडब्ल्यू-10-कुसुम ने बयान दिया कि उसने मृतक को उसकी मृत्यु से 8-9 दिन पहले अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ जाते देखा था। उसके बाद फिर से अभियुक्त-अपीलार्थी उसे 2-3 दिनों बाद मिला और उसने उसे बताया कि उसने मृतक को खत्म कर दिया है। हालांकि, पीडब्ल्यू-10, कुसुम विशेष रूप से यह नहीं बता सकी कि अभियुक्त-अपीलार्थी उसे कहाँ मिला और उसने अभियुक्त को मृतक के साथ कितनी दूरी पर जाते देखा था। इसके अलावा पीडब्ल्यू-10 कुसुम वह तिथि, समय और वर्ष याद करने में असमर्थ थी जब उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को मृतक के साथ देखा था। यहाँ तक कि वह उस स्थान को भी निर्दिष्ट नहीं कर पा रही थी जहाँ वह अभियुक्त से मिली थी। इसके अलावा, वह उक्त मोबाइल फोन पेश करने में सक्षम नहीं थी और अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं कर सकी।
44. पीडब्ल्यू-10, कुसुम के उपरोक्त बयान से, यह मानना असुरक्षित होगा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण है और शव की बरामदगी तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को फंसाने के लिए यह झूठी कहानी गढ़ी है।
45. अब अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अगले तर्क पर आते हैं कि पीडब्ल्यू-1, श्रीपाल (प्रथम सूचनाकर्ता) और पीडब्ल्यू-10, कुसुम के बयानों में तात्त्विक विरोधाभास हैं।
46. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अगले तर्क की सराहना करने से पहले कि गवाहों के बयानों में तात्त्विक विरोधाभास हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय की कुछ घोषणाओं का संदर्भ लेना उपयोगी होगा:
47. राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक बनाम सरवनन और अन्य, एआईआर **2009** एससी **152** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विरोधाभास/लोप इतने बड़े स्तर के थे कि वे विचारण को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अभियोजन पक्ष के मुख्य मामले को प्रभावित किए बिना तुच्छ मामलों पर मामूली विरोधाभास, विसंगतियाँ, अलंकरण या सुधार को "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय को पूरे साक्ष्य को पढ़ने के बाद, गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में एक राय बनानी चाहिए और अपीलीय न्यायालय सामान्य पाठ्यक्रम में न्यायोचित कारणों के बिना फिर से उसी की समीक्षा करने में उचित नहीं होगा।

48. राजस्थान राज्य बनाम राजेंद्र सिंह, (2009) 11 एससीसी 106 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

"जहाँ लोप विरोधाभास की सीमा तक हो, जो गवाह की सच्चाई के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता हो और अन्य गवाह भी साक्ष्य को स्वीकार्य बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष तात्त्विक सुधार करते हों, तो ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं हो सकता।"

49. महेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 11 एससीसी 334 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

"चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियां, यदि वे मामूली प्रकृति की नहीं पाई जाती हैं, तो उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने और उन्हें खारिज करने का आधार हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, गवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और यदि उनका साक्ष्य अन्य साक्ष्यों के साथ या पहले से दर्ज किए गए बयानों के साथ संघर्ष और विरोधाभास में पाया जाता है, तो ऐसे मामले में यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन ने अपना मामला उचित संदेह से परे सिद्ध कर दिया है।"

50. माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, अब हम विचार करेंगे कि क्या विरोधाभास/लोप इतने बड़े स्तर के थे कि उन्होंने विचारण को तात्त्विक रूप से प्रभावित किया हो।

51. पीडब्ल्यू-10, कुसुम ने बयान दिया कि उसने अपने पिता, पीडब्ल्यू-1 को मृतक की मृत्यु के बारे में सूचित किया था, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पीडब्ल्यू-1, प्रेम चंद्र द्वारा 29.08.2011 को दर्ज कराई गई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीडब्ल्यू-10, कुसुम ने उसे टेलीफोन पर सूचित किया था कि उसे अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा बताया गया है कि मृतक सुमन पिछले दो दिनों से बच्चों समेत लापता है। इसके अलावा, पीडब्ल्यू-10 ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जबकि पीडब्ल्यू-1, प्रेम चंद्र ने बयान दिया कि उसने दहेज की मांग या मृतक के उत्पीड़न के संबंध में किसी भी पुलिस अधिकारी या महिला आयोग या मानवाधिकार आयोग को कोई आवेदन नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यू-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि उसे अपनी बेटी कुसुम-पीडब्ल्यू-10 से सूचना मिली थी कि मृतक लापता है, जबकि अपनी जिरह में उसने कहा है कि मृतक की मृत्यु के संबंध में सूचना पीडब्ल्यू-10 द्वारा दी गई है। इसके अलावा, प्रथम सूचनाकर्ता ने प्राथमिकी में संदेह जताते हुए उल्लेख किया है कि उसकी बेटी की हत्या अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा की गई है।

52. उपरोक्त विसंगतियों के आलोक में, यह माना जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के गवाह विश्वसनीय नहीं हैं।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



53. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का संबंध है कि अपीलार्थी को प्रधान भूपेंद्र जाट के इशारे पर वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयान में कहा है कि कुसुम (पीडब्ल्यू-10) का पति सोनू, प्रधान भूपेंद्र जाट के यहाँ कार्यरत है और गवाह कुसुम भी उसके घर में काम करती है। प्रधान भूपेंद्र जाट ने जबरन उसके घर पर कब्जा कर लिया है और उन्हीं के इशारे पर उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पीडब्ल्यू-1, प्रेम चंद्र (प्रथम सूचनाकर्ता) ने अपनी जिरह में विशेष रूप से बयान दिया है कि अपनी बेटी (मृतक) की मृत्यु के संबंध में सूचना मिलने के बाद, वह मृतक के घर के लिए रवाना हुआ, जो 3 किमी दूर है। पुलिस स्टेशन भी मृतक के घर के पास स्थित है। दोघट से वह बुढ़ाना के लिए रवाना हुआ, जहाँ कोतवाली पुलिस स्टेशन भी स्थित है। उसके बाद, वह बुढ़ाना से शाहपुर के लिए और शाहपुर से मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से छपार और उसके बाद बसेड़ा के लिए रवाना हुआ। यद्यपि, सभी स्थानों पर पुलिस स्टेशन स्थित थे, लेकिन उसने (पीडब्ल्यू-1, प्रथम सूचनाकर्ता) किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की परवाह नहीं की।
54. उसने आगे बयान दिया कि बसेड़ा पहुँचने के बाद, वह प्रधान भूपेंद्र जाट के घर पर 3-4 दिनों तक रुका और पुलिस थाना छपार में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडब्ल्यू-1 ने यह भी कहा है कि "विवाह के बाद अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतक के बीच कुछ कारणों से विवाद था", यह वाक्य प्रधान के कहने पर लिखा गया है, जो कांस्टेबल (दीवान जी) के पास खड़े थे और रिपोर्ट लिखवा रहे थे। उसने यह भी बयान दिया कि अभियुक्त-अपीलार्थी को उदय वीर और भूपेंद्र जाट ने पकड़ा था और उसे बसेड़ा लाया गया था। उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, जो वहाँ आई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
55. प्रथम सूचनाकर्ता, पीडब्ल्यू-1 के उपरोक्त बयान से, प्रधान भूपेंद्र जाट के इशारे पर अभियुक्त-अपीलार्थी को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
56. इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में न तो गुणवत्ता है और न ही विश्वसनीयता और ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखना असुरक्षित होगा। मामले पर विचारपूर्वक सोच-विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि मामले में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य अपीलार्थी के दोष को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
57. तदनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3, मुजफ्फरनगर द्वारा सत्र विचारण संख्या 131/2012 (मुकदमा अपराध संख्या 260/2011 से उत्पन्न), धारा 498-ए, 302, 201 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना छपार, जनपद मुजफ्फरनगर में पारित आदेश दिनांक 17.5.2017 को निरस्त किया जाता है।
58. परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।
59. अपीलार्थी श्रीपाल जेल में है। उसे तत्काल रिहा किया जाए जब तक कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।
60. अपीलार्थी को धारा 437-ए दंड प्रक्रिया संहिता/481 बीएनएसएस के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।
61. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संबंधित न्यायालय को प्रेषित करे और दो महीने के भीतर इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(देवेन्द्र सिंह-I, न्यायमूर्ति) (चन्द्र धारी सिंह, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

इशरत

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"